तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नन्दलाल व्यास बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 158 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नन्दलाल व्यास, आर.टी.आई. कार्यकर्ता बसन्त विहार, तीसरी ऐ रोड़, सरदारपुरा जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.07.19 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत बनाड़ के खसरा नम्बर 383 में से कुछ भूमि आबादी में परिवर्तित की जाकर जिला कलक्टर के आदेश कमांक 3323 दिनांक 11.06.1985 एवं तहसीलदार जोधपुर के आदेश कमांक 8951 दिनांक 15.07.1985 के अनुसरण में ग्राम पंचायत बनाड़ को आंवटित की जाकर ग्राम पंचायत के नाम की गई थी, उक्त दोनों आदेशों की प्रतियां, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	